मंत्रालय द्वारा प्रशासित कानून

भारत के संविधान ने राज्य के विधान के लिए शहरी क्षेत्रों से संबंधित विषय निर्धारित किए है । जहां तक शहरी मुद्दों का संबंध है संघ की विधायी शक्ति केवल निम्नलिखित विषय/ क्षेत्रों तक सीमित है :-

- दिल्ली एवं अन्य संघ शासित क्षेत्र
- संघ की सम्पत्ति
- राज्य सूची का विषय जिसे दो या अधिक राज्य विधायिका संघ संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत करती है ।
- भारत के संविधान में संशोधन

इन विधायी शक्तियों के अनुपालन में,भारत की संसद ने निम्नलिखित कानून बनाए है जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है ।

संविधान(74वां संशोधन) अधिनियम,1992

यह कानून का एक क्रांतिकारी भाग है जिसके द्वारा भारत के संविधान में शहरी स्थानीय निकायों पर एक अलग अध्याय शामिल करने हेतु संशोधन किया गया था जिसमें उनकी भूमिका,शक्ति,कार्य एवं वित्त को पुनःपरिभाषित करने की व्यवस्था की गई है ।

- शहरी स्थानीय निकाय जो कि जनसंख्या के आधार पर नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के रुप में जाने जाते है, देश के प्रत्येक अधिसूचित शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार के माध्यम से गठित की जाएगी ।